

नेबोयत

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

6568

पटना, दिनांक- 11/08/26

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
गोपालगंज।

विषय:-

दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5652, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-56)6	शफिक अहमद	BR28P-4709	स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-30 दिन
2	(क-57)1	तारिक परवेज	BR28P-4786	स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-26 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

नेबधित

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

6567

पटना, दिनांक- 11.08.26

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
सिवान।

विषय:-

दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5652, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-73)	श्री राकेश कुमार	BR29PB-8695	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-02 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभ्रमजन

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
छपरा।

विषय:-

दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5652, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-53)	श्री प्रवीण कुमार सिंह (आपत्तिकर्ता)	BR04PA 9402	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-01 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन


सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
किशनगंज।

विषय:-

दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5652, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-18)2	मो० अबसर आलम	BR37P7111	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन



सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

नेबांधित

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

6564

पटना, दिनांक- 11.08.26

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
अररिया।

विषय:-

दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5652, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-18)	श्रीमती ममता मिश्रा	BR38P5621	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
2	(क-18)3	निर्मल कुमार मिश्रा	BR38P4646	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-02 दिन
3	(क-20)1	मो० असलम	BR38P7811	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
4	(क-22)1	श्रीमती ममता मिश्रा	BR38P-7355	स्पेशल परमिट की वैधता समाप्ति होने के उपरान्त वाहन का अवैध परिचालन	कुल-02 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

11/08/26
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

विषय:-

दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

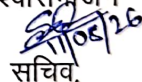
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5652, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-43)2	श्री निरंजन कुमार	BR11RA 9198	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-23 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभूजन



सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

6562

पटना, दिनांक- 11.08.26

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
बेगूसराय।

विषय:-

दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5652, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-17)3	श्री विनोद कुमार साह	BR09PA9241	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
2	(क-23)6	श्रीमती सुधा सिंह	BR09PB1059	स्पेशल परमिट परमिट की वैधता समाप्ति होने के उपरान्त वाहन का अवैध परिचालन	कुल-14 दिन
3	(क-42)1	श्री बिनित कुमार	BR09PA 9160	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-01 दिन
4	(क-59)1	श्री मुक्ति नाथ (आपत्तिकर्ता)	BR09PA 7340	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-01 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभूजन

11/08/26

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

विषय:-

दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

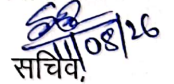
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5652, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-10)3	श्री कमल किशोर कुमार	BR06PD-2758	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-30 दिन
2	(क-11)1	श्री रमन कुमार	BR06RA-7999	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
3	(क-11)2	श्रीमती संजू देवी	BR06GH7999	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
4	(क-11)8	श्री सतीश कुमार	BR06PH8951	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
5	(क-45)1	श्री सुभाष यादव	BR06PH-6500	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-30 दिन
6	(क-46)3	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह	BR06PG 5490	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन


सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

6560

नेबांधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

पटना, दिनांक- 11/08/26

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
नालन्दा।

विषय:- दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5652, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-2)2	श्रीमती मनीकान्ता देवी (BSRTC)	BR21Q-9422	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-30 दिन
2	(क-36)1	श्री बासुकी नाथ	BR21GC-8151	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-10 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभूजन

11/08/26
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
पटना।

विषय:-

दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

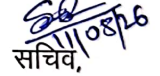
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-02 जून, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5652, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-5)1	श्री सुभाष यादव	BR01PT-6500	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-29 दिन
2	(क-42)1	श्री मुक्ति नाथ (आपत्तिकर्ता)	BR01PR1312	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-02 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन


सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

6558

पटना, दिनांक- 11/08/26

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

विषय:-

दिनांक-12 मई, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 मई, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5653, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(घ-2)1	BSRTC	BR06PG-4757	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

11/08/2026
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

6557

पटना, दिनांक- 11.08.26

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
गयाजी।

विषय:-

दिनांक-12 मई, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 मई, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5653, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(ख-7)1	मो० नौशाद खान	BR02PB-0909	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
2	(ख-7)3	मो० नौशाद खान	BR02PC-3987	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-10 दिन
3	(ख-12)6	श्री द्वारिका प्रसाद	BR02PC-6024	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-17 दिन
4	(ख-12)7	मो० जावेद	BR02PC-4898	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-11 दिन
5	(ख-12)9	मो० जावेद	BR02PC-4899	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-11 दिन
6	(ख-14)6	मो० जावेद	BR02PB-3187	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
7	(ख-17)3	श्री सुनील कुमार सिंह	BR02PB-8738	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

30/08/2026
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

6556

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

पटना, दिनांक- 11.08.20

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
पटना।

विषय:-

दिनांक-12 मई, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 मई, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5653, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(ख-6)1	श्री अरविन्द कुमार सिंह	BR01PQ-8636	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-16 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

11/08/2026
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

6555

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

पटना, दिनांक- 11.08.26

प्रेषक,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
नालन्दा।

विषय:-

दिनांक-12 मई, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 मई, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-5653, दिनांक-10.07.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-10)3	श्री विकाश कुमार सिन्हा	BR21PA-1359	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।